


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



## कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर से चयनित व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) वाणिज्य विषय के पद पर आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी-15/2017 दिनांक 24.06.2017 एवं 27.09.2017 के द्वारा नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन किया जाकर आदेशानुसार निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण किये जाने हेतु पाबन्द किया गया। कतिपय प्रकरणों में संस्थाप्रधान स्तर से शाला दर्पण पोर्टल पर कतिपय व्याख्याता-इतिहास के कार्यग्रहण अपडेट नहीं किये जाने के कारण से निर्धारित दिनांक तक पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर 166 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी-15/2017 दिनांक 31.10.2017 द्वारा निरस्त किये गये थे। जबकि निम्नांकित व्याख्याता- वाणिज्य द्वारा उनके नाम के आगे अंकित विद्यालय में ऑफ लाइन कार्यग्रहण, गलत कार्मिक डटा इन्द्राज के कारण शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण से निम्नांकित अभ्यर्थी उनके नाम के आगे अंकितानुसार विद्यालय में कार्यरत होने के कारण से निम्नांकित कार्मिक के नाम निरस्त किये गये आदेश से एतद द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है-

क्रम	सूची क्रसं	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण दिनांक
01	03	सुनील कुमार विजयवर्गीय, मेरिट 93	राम लाल विजयवर्गीय	01.01.1984	GENM	राउमावि बड़गांव-मावली- उदयपुर	28.06.2017
02	171	दीपक कुमार जैन मेरिट 131	सोहन लाल जैन	05.04.1992	GENM	राबाउमावि नैनवॉ-बूंदी	30.06.2017

  
(सौरम स्वामी)

आई ए एन

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक- 25/02/2020

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/RPSC-15/वाणिज्य/2017

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

01. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
02. उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
03. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक- स्कूल शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी- मुख्यालय/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
04. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
05. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिकों के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की प्रभावी मोनितरिंग करें।
06. संबन्धित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
07. सम्बन्धित कार्मिक/अनुभाग अधिकारी-सी-8/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर